

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार आर.ए.एस

संख्या : 79/2020

प्रार्थीगण

1. अशोक कुमार पुत्र वेलाराम
2. जेठाराम पुत्र वेलाराम
3. मांगाराम पुत्र वेलाराम
4. किस्तूराराम पुत्र वेलाराम
5. प्रकाश पुत्र वेलाराम

कौम पुरोहित साकिन डाबड़ तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. तुलछाराम पुत्र भूराराम
2. विजयकुमार पुत्र दीपाराम
3. कृष्णा पुत्री दीपाराम
4. गवरीकवर पत्नी दीपाराम जाति ब्राहमण निवासी डाबड़
5. तगाराम पुत्र वरजांगाराम जाति रबारी
6. हेमाराम पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी डाबड़
7. भूराराम पुत्र तुलसाराम
8. ओखीदेवी पत्नी तुलसाराम
9. मोहनराम पुत्र गुणेशाराम
10. चैनाराम पुत्र गुणेशाराम
11. चुतराराम पुत्र गुणेशाराम
12. नाजूदेवी पत्नी गुणेशाराम
13. मोबताराम पुत्र बिजलाराम
14. जोगाराम पुत्र बिजलाराम
15. मंगलाराम पुत्र बिजलाराम
16. मथरोदेवी पत्नी बिजलाराम जाति रबारी निवासी डाबड़ तहसील गुडामालानी
17. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:-

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

--: आदेश :-

दिनांक :-04-01-2020

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम के तहत सरहद मौजा डाबड़ के खेत खसरा नम्बर 1585/1 रकबा 23-00 बीघा का नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गणना विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण विरुद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

उपखण्ड अधिकारी
गुडामालानी

हमने प्रार्थीगण की विद्वान अधिवक्तागण की एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2073-2076 सरहद मौजा डाबड के खेत खसरा नम्बर 1585/1 रकबा 23-00 बीघा भूमि का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माटे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पड़ोसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं।

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा डाबड के खेत खसरा नम्बर 1585/1 रकबा 23-00 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फ़ैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 4-1-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सनील कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी